न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 21/2019

1. भँवरलाल पुत्र सबला
2. भागचन्द पुत्र सबला
3. सीता पत्नी देवकरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी घूघरा तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मदनलाल गुर्जर — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 26.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2075 में अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम घूघरा तहसील अजमेर जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 671/4264 रकबा 0.20 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 पर अनाधिकृत रूप से रबी की फसल गैहूँ काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 23/2019 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 01.04.2019 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा सरकार करने के साथ ही शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम घूघरा की विवादित आराजी खसरा नं0 671/4264 रकबा 0.20 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण नहीं किया गया, बल्कि उक्त भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। लाली, रतिया, सुमन पुत्रिया सबला व दाखू पत्नि सबला के द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में हक त्याग किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2918 दिनांक 5.6.2012 स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किया गया। अपीलान्ट्स मौके पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहें है। विवादित भूमि राजकीय भूमि नहीं होकर खातेदारी भूमि है। लिहाजा अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित किये जाने की कार्यवाही न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के मूलतः विपरीत होने से

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के इस कथन पर भी कोई गौर नहीं किया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान खातेदारी भूमि को त्रूटिवश राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91/90 के तहत की गई कार्यवाही निराधार होने तथा पोषणीय नहीं होने से काबिले निरस्त है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा मौके, रिकार्ड एवं वस्तुस्थिति की जांच तथा पटवारी हल्का के बयान लिए बिना पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2019 को खारिज फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील संधारण योग्य नहीं है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकार्ड, जमाबन्दी में ग्राम घूघरा की प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 671/4264 सिवाय चक दर्ज है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। अतिक्रमियों द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner